

विचार बिन्दु

सड़क में मुड़ाव होना, उसका खत्म होना नहीं है, जब तक कि आप स्वयं मुड़ने में विफल नहीं होते। –हेलेन केलर

दो विकल्पों में से किसी एक को हमें ही चुनना है!

भारत में वृद्ध आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वृद्ध अर्थात वे जिनकी आयु साठ वर्ष या अधिक है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां औसत आयु बहुत तेजी से बढ़ी है। सन् 2०11 में जहां यह 67 वर्ष थी, 2025 में बढ़कर 71.2 वर्ष हो गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस समय देश में लगभग 15 करोड़ वृद्ध हैं जो हमारी कुल आबादी का 1०.5 प्रतिशत है। अनुमान लगाया गया है कि यह वृद्ध आबादी सन 2030 तक 18 करोड़, 2०47 तक 34 करोड़ और 2050 तक 40 करोड़ हो जाएगी। इस बरस अर्थात सन् 2025 में अस्सी पार के वृद्धों की संख्या 1.7 करोड़ है जो 2050 तक आते-आते 9 करोड़ हो जाएगी। इसे यों भी समझें कि अस्सी पार के वृद्ध पांच गुना बढ़ जाएंगे। और इसे इस तरह भी देखें कि अगले दस बरस में हर पांचवां भारतीय साठ बरस से अधिक उम्र का होगा।

अब कुछ और आंकड़ों पर भी नज़र डाल लें। भारत में लगभग 71% वृद्धजन गांवों में रहते हैं। दूसरी बात, सन 2०24 में कम से कम 21% वृद्ध किसी न किसी रोग से पीड़ित थे। इसी के साथ यह बात भी जोड़ कर देख लें कि हमारे देश में केवल 18% वृद्धजन के पास कोई पेंशन है। अब यह बात और देखें कि भारत में सामाजिक संरचना बहुत तेज़ी से बदली है। संयुक्त परिवार लगभग विलुप्त हो चुके हैं। युवा रोजी-रोटी की तलाश में गांवों से शहरों में आ गए हैं या आ रहे हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ रहा है। केवल वे जो निजी व्यवसाय करते हैं, एक जगह टिक कर रह पाते हैं, हालांकि उनमें से भी बहुत सारे अनेकानेक कारणों से अपना ठिकाना बदलने को विवश होते हैं, या उसे बदलने का चुनाव करते हैं। इन बातों की वजह से वृद्धजन का अपने बच्चों के साथ रह पाना कठिन होता जा रहा है। वे कहीं रहते हैं, उनके बच्चे कहीं और रहते हैं। एक तो बच्चों के लिए उन्हें हर जगह अपने साथ ले जाना सम्भव नहीं होता, और अगर वे ले भी जाएं तो वृद्धजन बहुत आसानी से नई जगह में अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके पास यही विकल्प बचता है कि वे स्वतंत्र रूप से अकेले रहें और वे रहते हैं। शहरों में अकेले या एक दूसरे के सहारे रहने वाले वृद्धजन अब अपवाद नहीं रह गए हैं।

अब, वृद्धजन की अपनी समस्याएं होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ-साथ वे अशक्त होते जाते हैं। अनेक रोग उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। पूरे समाज में ही अलगाव बढ़ता जा रहा है। सामाजिकता के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। लोगों का आपस में मिलना-जुलना कम होता जा रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव इन वृद्धजन पर ही पड़ता है। जब उन्हें किसी सहयोग या सहायता की ज़रूरत होती है तो वह उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन ज़रूरतें तो होती ही हैं। वे तो स्थगित होती नहीं। कम भी नहीं होती। आपको बाज़ार से कुछ खरीददारी करनी है, दवा लानी है, बिजली या पानी का बिल जमा कराना है– ऐसे अनगिनत काम होते हैं। जब जवान थे तो दौड़-दौड़ कर ये सारे काम कर लिया करते थे। अब घर से बाहर निकलना भी जैसे बोझ महसूस होता है। उसे टालते रहते हैं। सोचते हैं कि दो-तीन काम इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर एक साथ कर लेंगे। लेकिन हर काम तो इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर कोई बिल जमा कराना है तो लास्ट डेटसे पहले कराना ही है। कहीं की यात्रा करनी है तो रिजर्वेशन कराना ही है। ऐसी अनगिनत बातें हैं।

यह बहुत अच्छी बात है कि हम तमाम तरह की चुनौतियों से जूझते हुए, टकराते हुए जी रहे हैं। हमारे मां-बाप जिस उम्र में तस्वीरों में बच रहे थे, उस उम्र को हम कभी का पार कर चुके हैं और ठाठ से जी रहे हैं। हमारा यह ठाठ बना रहे, हमारा जीवन सुगमतापूर्वक चलता रहे, अपनी समस्याओं को हम ख़ुद हल करते रहें और जीवन की परेशानियों के हल तलाश करके अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाते रहें, इसके लिए प्रयत्न हमीं को करने होंगे। हमारे पास दो ही विकल्प हैं - या तो परेशानियों का रोना रोते रहें, या उन्हें हल करने के प्रयत्न करते रहें! चुनाव हम को ही करना है!

रखने की ज़रूरत को बहुत ही कम कर दिया है। बैंक के सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। ख़ुद मुझे अपने बैंक की शाखा में गए कम से कम पांच बरस तो हो ही गए हैं। अपनी पास बुक में अपडेट कराता ही नहीं हूँ। और सच तो यह है कि बहुत सारे बैंकों ने पास बुक की व्यवस्था ही ख़त्म कर दी है। तब तो, उम्र बढ़ने की वजह से हमारे चलने-फिरने की सामर्थ्य में जो कमी आई है उसकी बहुत प्रभावशाली पूर्ति तकनीक ने कर दी है।

लेकिन जब मैं अपने हम उम्र साथियों से मिलता हूँ तो उनके पास शिकायतों और व्यथाओं की एक बड़ी पोतली होती है। यही व्यथा कि इस काम के लिए कहां जाएं और वह काम कैसे करवाएं। मैं जब उनसे कहता हूँ कि बहुत सारे काम आप तकनीक के माध्यम से करके अपनी व्यथाओं को कम कर सकते हैं, तो उनमें से अधिकांश का जवाब होता है, हमने तो पहले कभी इस तकनीक का इस्तेमाल किया ही नहीं! अब इस उम्र में नई चीज़ कैसे सीखें। मैं जिनसे तक सक्ता हूँ उन्हें कहता भी हूँ कि आपकी सिखा देता हूं। लेकिन वे सीखना भी नहीं चाहते। तर्क वही कि अब इस उम्र में क्या सीखें? मुझे बहुत अजीब लगता है! कहना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता कि इस उम्र में आप जी भी तो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने नया कुछ सीखा ही नहीं है, या सीख नहीं सकते हैं! हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों ने मोबाइल चलाना सीखा ही है। जब वे जवान थे तब कहां था यह? तब तो वह टेलीफोन था जिसमें ऑपरेटर से नम्बर लगवाना पड़ता था। हमने टीवी चलाना, चैनल बदलना सीखा है, एसी चलाना सीखा है, हम मेट्रो में चढ़ना सीखे हैं। वॉट्सएप का इस्तेमाल वे घड़ल्ले से करते हैं। न जाने कितनी नई चीज़ें हमने सीखी हैं और लगातार सीख रहे हैं। फिर ऐसी चीज़ों को सीखने से हम क्यों कतराते हैं? जिनके सीख लेने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा! बहुत बार हम अजीब किस्म के बहाने भी करते हैं। एक हम उम्र मित्र बता रहे थे कि वे एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं। हर माह बैंक जाकर लाइन में खड़े रहकर पैसे लाते हैं! कारण पूछने पर बताया कि अगर कोई एटीएम कार्ड का दुरुपयोग कर ले तो तो? अब इसका क्या जवाब दे कोइ? आप बैंक से रुपये लेकर आ रहे हैं, कोइ छीन ले तो? कोइ टक्कर मार देगा, इस भय से आप सड़क पर चलना बंद तो नहीं कर देते हैं? तकनीक को लेकर भी लोग इसी तरह के अनेक भय सामने लाते हैं। देशक तकनीक के साथ बहुत सारे खतरे जुड़े हैं। शांतिर लोग हमारे अज्ञान या असावधानी या दोषों का गलत फायदा उठाकर हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन खतरे तो जीवन में हर जगह हैं! उनसे डर हम जीना तो नहीं छोड़ देते हैं! कोशिश करते हैं कि खतरों से बच कर निकल जाएं!

यह बहुत अच्छी बात है कि हम तमाम तरह की चुनौतियों से जूझते हुए, टकराते हुए जी रहे हैं। हमारे मां-बाप जिस उम्र में तस्वीरों में बच रहे थे, उस उम्र को हम कभी का पार कर चुके हैं और ठाठ से जी रहे हैं। हमारा यह ठाठ बना रहे, हमारा जीवन सुगमतापूर्वक चलता रहे, अपनी समस्याओं को हम ख़ुद हल करते रहें और जीवन की परेशानियों के हल तलाश करके अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाते रहें, इसके लिए प्रयत्न हमीं को करने होंगे। हमारे पास दो ही विकल्प हैं - या तो परेशानियों का रोना रोते रहें, या उन्हें हल करने के प्रयत्न करते रहें! चुनाव हम को ही करना है!

—अतिथि संपादक, डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, (शिक्षाविद और साहित्यकार)

राशिफल

सोमवार 10 नवम्बर, 2025

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, पुनर्वसु नक्षत्र सायं 6:48 तक, साध्य योग दिन 11:05 तक, गर करण दिन 1:02 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:03 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से सायं 6:48 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सायं 6:48 से सूर्योदय तक रहेगा। रवियोग सायं 6:48 से आरम्भ होगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:04 तक, शुभ 9:29 से 1०:50 तक, चर 1:32 से 2:53 तक, लाभ-अमृत 2:53 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:47, सूर्यास्त 5:35 तक



मेघ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परजन के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।



वृष आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।



वृश्चिक अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों के लिए दिन ठीक नहीं है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



मिथुन व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।



धनु घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।



कर्क घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगा। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।



मकर विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।



कुंभ व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।



कन्या व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन घर-परिवार में अतिथियों का आम्रमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार होगा।

आधार पहचान के लाभ, कठिनाइयां और कमियां



महावीर सिंह

2009 में भारत सरकार ने आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (ऑथोरिटी)) यूआईडीआई (UIDAI) की स्थापना की। नंदन निलेकणि को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्हीं के नेतृत्व में 12-अंकीय अद्वितीय पहचान संख्या की अवधारणा विकसित हुई।

कानूनी स्थिति:– संसदीय की वित्त स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) की 2011-12 की रिपोर्ट में समिति ने आधार को लतकाल कानूनी समर्थन प्रदान करने की सिफारिश। इस से संबंधित 2010 का विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ था। आधार का मुख्य लक्ष्य नागरिकों की अद्वितीय पहचान सुनिश्चित करना था। समिति ने इसे ‘अनिश्चित और महंगा’ बताया।

संसदीय समिति की रिपोर्ट में इसकी प्रमुख अलोकचर्चाएँ भी बताई गई:– बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) पर आधारित प्रणाली को ‘अप्रमाणित और अविश्वसनीय’ कहा गया। बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स कमिटी ने फिंगरप्रिंट संग्रह में उच्च त्रुटि दर (error rates) का उल्लेख किया था। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज से 1.2 अरब लोगों के लिए कम त्रुटि दर की गारंटी नहीं मिली।

समिति ने गोपनीयता, डेटा लीक और दुरुपयोग की चिंता भी उठाई गई थी। यह भी बताया कि इस के उपयोग से सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों से वंचित होने (exclusion errors) की समस्या सामने आई है, जैसे बुजुर्गों या श्रमिकों के बायोमेट्रिक डेटा के मिलान में बड़ी संख्या में असफलता को रेखांकित किया था।समिति ने आधार के संभावित लाभों ने लोगों का जीवन बहुत सुगम बना दिया है। आपको किसी सामान की जरूरत है, ऐसी अनेक सेवाएँ हैं जो दस मिनट से भी कम समय में वह सामान आपको उपलब्ध करा देती है। आप खाना खाने बाहर नहीं जाना चाहते तो बाहर का खाना आपके घर पहुँचा दिया जाता है। यूपीआई के चलने ने नकद धन राशि आपसे पास

इस रिपोर्ट के बाद आधार विधेयक को संशोधित कर 2016 में आधार (लक्षित वितरण) अधिनियम पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2०18 के फैसले में भी इस समिति की सिफारिशों, आशंकाओं को रेखांकित किया है। इस फैसले में आधार के कुछ प्रावधानों (जैसे प्राइवेट कंपनियों से लिंकिंग) को असंवैधानिक घोषित किया गया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थायी संसदीय समिति की सातवीं रिपोर्ट (मार्च 2025) में आधार-लिंकड डिजिटल पेमेंट्स (AePS) में बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई गई। समिति ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने और डेटा संरक्षण उपायों की सिफारिश की।

आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि आधार जब इतना जाना पहचाना, उपयोग में आने वाला पहचान का प्रमाण बन चुका है तो इस पर लिखने की क्या आवश्यकता है? पिछले महीने भर से आधार से जुड़ी कई हैरान करने वाली खबरें पढ़ने में आई हैं। जैसे इसका

दुरुपयोग कर दूसरे लोगों के बैंक से डेटा चुराकर, उनके खातों से पैसे चोरी करना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लाभ को हड़प लेना। इनेक्टिव बैंक खातों को एक्टिव कर उनमें दूसरों के हक या उनके खातों से चुराए पैसे डाल कर धोखाधड़ी करना। आधार में गांव मोहल्ले के नाम, स्वयं के नाम और माता-पिता के नामों में त्रुटि से बैंक लेनदेन बाधित होना इत्यादि- इत्यादि। पाठकों की सुविधा के लिए कुछ समाचारों का सारांश दिया जा रहा है ताकि पाठक समस्या की गंभीरता व व्यापकता को समझ सकें:–

1. “सरकारी योजनाओं पर डाका –-सिस्टम के भीतर सिस्टम --पोर्टल पर अफसरों, किसानों की फर्जी आइ डी ये”....“पटवारी से लेकर कलेक्टर तक की फर्जी आइडी”.....” स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑफ़ेटर व कलेक्ट्रेट कर्मचारी शामिल'।

2. “सरकारी योजनाओं में ठगी – देश भर में 1265 अफसरों के लॉगइन से 4 लाख संदिग्ध खातों में करोड़ों रुपए भेजे”.....“1500 से अधिक एसएसओ आइडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी हैक किए, किसी विभाग के पोर्टल में ओटीपी शेयरिंग सिस्टम की खामी का लाभ उठाकर संदिग्ध बैंक अकाउंट जोड़े -- सुरक्षा योजनाओं की राशियों का अपराध लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण व निकासी –गुजरात के दो लख, राजस्थान के 55 हजार, आसाम के 40 हजार लोगों के डाटा, आधार का दुरुपयोग --बंद खातों में राशि हस्तांतरण, निकासी”।

आधार योजना के बहुत सारे लाभ हैं जिन से आम आदमी भी परिचित है जैसे कि सरकारी योजनाओं के नकद लाभ का बिना बिचौलियों के, लाभार्थी के बैंक खाते में जाने का प्रमाण। आधार लिंकिंग की वजह से सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ जैसे सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी आदि सीधे बैंक खाते में जाने से भ्रष्टाचार में कमी भी आई है। लेकिन यह भी सही है कि सही की जगह गलत बेनिफिशियरी (लाभार्थी) लोगों के खातों में राशि डालने से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। इस से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। आयकर रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रार में इसके अनिवार्य उपयोग और पैन कार्ड और आधार लिंक से कर चोरी रोकने में मदद मिली है।

जन धन खाता-आधार-मोबाइल (JAM) के संयुक्त उपयोग से वित्तीय समावेशन बढ़ा। E KYC SE बैंक खाता खोलना आसान हुआ है। जन धन योजना में लाखों खाते आधार से खुले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ी। माइक्रो-एटीएम, आधार पे से नकद रहित लेनदेन बढ़ा है। सिम कार्ड, डीटीएच, ब्रॉडबैंड आदि के लिए त्वरित सत्यापन संभव हुआ है। डिजी लॉकर, ई-साइन जैसी सेवाओं में आधार एकीकरण। अस्पताल, पुलिस, यात्रा में त्वरित पहचान, मृत्यु/दुर्घटना में शव की पहचान आसान हुई है।

आधार के उपयोग से पीडीएस (राशन दुकान) में दुर्लभ/टकराए/फर्जी कार्ड हटाए। आग्रामान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में सटीक पहचान हुई है, यद्यपि शिक्षावर्तें भी हैं और रशिया गलत खातों में डालने से सरकारी खजाने को हानि भी हुई है।

आधार का 12 अंक वाला अद्वितीय नंबर हर नागरिक को एक विश्वसनीय पहचान देता है। जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण आदि के बिना भी आधार से पहचान सत्यापन संभव है। किंतु बहुत से गैर नागरिकों, अवैध रूप से देश में आए दूसरे देशों के

नागरिकों के भी आधार कार्ड बने हुए हैं, ऐसे बयान राजनीति से जुड़े लोगों के आते रहते हैं। अभी बिहार में हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्य में यह बड़ा मसला बना था। अब भी कई जिम्मेदार नेताओं द्वारा भाषणों में ऐसी ही बातें बोली जाती हैं। 201०–2018 के बीच 6 करोड़ से अधिक फर्जी आधार रद्द किए गए हैं। आधार योजना के प्रमुख कमियां, कठिनाइयां निम्नलिखित हैं:– बुजुर्ग, मजदूर, बच्चों के फिंगरप्रिंट/आईरिस मैच नहीं होने से बहुत से लोग राशन, पेंशन, मनरेगा में लाभ से हो जाते हैं। आधार लिखें फेल होने से कुछ जगहों पर भुखमरी से मौतों की घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट/बिजली न होने पर सत्यापन में कठिनाइयां आती हैं। POS (माइक्रोएटम) मशीन के फेल होने से, सर्व डाउन होने से लेनदेन रुक जाते हैं जिस से मजदूरों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

गोपनीयता का उल्लंघन : बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट, आईरिस) का केंद्रीकृत भंडारण होने से डेटा लीक की कई घटनाएँ हुई हैं। 2018 में 1.1 करोड़ आधार डेटा लीक की घटनाएँ हुई हैं। डेटा बिस्की की खबरें भी आती रहती हैं। आधार, मेल, मोबाइल हैंकिंग से पहचान चोरी का, बैंकिंग धोखाधड़ी, खातों से अवैध धन निकासी की जोखिम बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2०18 के अपने फैसले में गोपनीयता को मौलिक अधिकार माना, लेकिन इसकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधान असंवैधानिक ठहराए। आधार अभिनियम की धारा 57 (प्राइवेट कंपनियों का उपयोग प्रतिबंधित) को अवैध घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का प्राइवेट उपयोग सीमित किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उल्लंघन होता है। स्कूल एडमिशन, मोबाइल सिम, बैंक में जबरन आधार मांगा जाता है और बिना आधार वाले नागरिकों का उत्पीड़न होता।

बुजुर्ग, मजदूर, बच्चों के फिंगरप्रिंट/आईरिस मैच नहीं होने से बहुत से लोग राशन, पेंशन, मनरेगा में लाभ से वंचित हो जाते हैं।

आधार लिंक फेल होने से कुछ जगहों पर भुखमरी से मौतों की घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं वे लाभों से वंचित हैं। अनिवार्यता का दुरुपयोग भी हो रहा है। ट्रांसजेंडर, बेचर, आदिवासीयों का एनरोलमेंट मुश्किल है।

आधार नम्बर, मोबाइल फोन, गैस एजेंसी, बैंक खाते और अब ड्राइविंग लाइसेंस आदि बहुत से दस्तावेजों की आपसी लिंकिंग से निगरानी राज्य का खतरा भी उत्पन्न होता है (Surveillance Risk) इन सब की ट्रेकिंग से नागरिकों की निजी जिंदगी पर नजर रखी जा सकती है। पुलिस/एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग की पूर्ण संभावना रहती है।

आधार योजना के संबंध में कुछ प्रमुख लोगों के विचार : -- नरेंद्र मोदी ने विपक्ष में रहते हुए आधार योजना को आलोचना का विषय बनाया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे मजबूती से अपनाया और डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख स्तंभ बना दिया। तिरुचिरापल्ली में एक रैली के दौरान मोदी ने आधार को ‘जड़ी-बूटी’ (जैसे कोई चमत्कारी दवा) कहा और आरोप लगाया कि देश की सभी समस्याओं का समाधान बताकर भ्रम फैलाने और वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकने की राजनीति चल का आरोप लगाया। अप्रैल 2014 में बेंगलुरु की रैली में जेडई चेयरमैन नंदन नीलेकणी की भी

आलोचना की। उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि आधार से सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। आधार अवैध प्रवासियों को वैधता मिल सकती है। सीमावर्ती राज्यों को खतरे में डाल सकता है।

किंतु गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने आधार को प्रभावी ढंग से लागू किया। आरोप लगे कि गुजरात में कानूनी आवश्यकता से अधिक व्यक्तिगत डेटा (जैसे जन्म तिथि, पता) एकत्र किए गए। देश की सत्ता संभालने के बाद श्री मोदी ने आधार योजना को पुनर्जीवित किया। इसे जन-कल्याण योजनाओं का आधार बनाया। इस से भ्रष्टाचार कम होने और राजकीय धन की, अनुमानत 40 से 50% तक कीचरी रुकी है। 2०16 में एक ट्वीट में कहा: “आधार को अच्छे शासन और पारदर्शिता का साधन मानना सुखद है। यह सरकारी खजाने में बचत सुनिश्चित करता है और सेवा वितरण को बेहतर बनाता है।”

ड्रेज़ (Jean Drèze) और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन (Amartya Sen) दोनों प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जो गरीबी उन्मूलन, कल्याण योजनाओं और विकास पर काम करते हैं। वे मानते हैं कि बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उद्देश्य सरकारी सेवाओं, सब्सिडी और कल्याण योजनाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। जीन ड्रेज़ आधार को एक संभावित उपयोगी उपकरण मानते हैं। आधार राज्य की क्षमता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसे माध्यमों से सब्सिडी सीधे लाभार्थी तक पहुंचा सकता है।

यह भ्रष्टाचार कम कर सकता है किंतु गरीबों को योजनाओं के लाभों से वंचित कर सकता है।

इसके जोखिमों की आलोचना भी की है। इसके कार्यान्वयन में गोपनीयता, 'रिस्केड' और तकनीकी समस्याओं जैसे मुद्दे उठे हैं। झारखंड जैसे राज्यों में उनके अध्ययन से पता चला कि बायोमेट्रिक फेलियर (जैसे उंगलियों के निशान न पड़ना) के कारण लाखों गरीब राशन या मनरेगा जैसी योजनाओं से वंचित हो गए।

2017 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित जीन ड्रेज़ के लेख "Aadhaar and Food Security in Jharkhand" में उन्होंने लिखा कि आधार ने "entitlement failures" को बढ़ावा दिया, जहां 'सिशन न पड़ना' के कारण लाखों गरीब राशन या मनरेगा जैसी योजनाओं से वंचित हो गए।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार लिंक फेल होने से कुछ जगहों पर भुखमरी से मौतों की घटनाएँ रिपोर्ट हुई हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं वे लाभों से वंचित हैं। अनिवार्यता का दुरुपयोग भी हो रहा है। ट्रांसजेंडर, बेचर, आदिवासीयों का एनरोलमेंट मुश्किल है।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

आधार से वंचित हो जाते हैं।

यदि बायोमेट्रिक काम नहीं करता तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। बैंक में, बायोमेट्री के विकल्प के रूप में आधार कार्ड का QR कोड स्कैन करके पहचान सत्यापित की जा सकती है। इन्ड्य पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं।डब में मैनुअल सत्यापन की अनुमति है, जहाँ आधार नंबर और अन्य (जैसे वोटर ID) से सत्यापन हो सकता है।

फिंगरप्रिंट स्कैनर, अंगुलियों की गंदगी से भी बायोमेट्रिक स्कैनिंग असफलता हो सकती है जिसे ठीक कराया जा सकता है। कई बार सर्वर डाउन होने से बांयोमेट्रिक सत्यापन फेल होता है।

AePS के लिए: आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) में बार-बार असफलता होने पर बैंक से संपर्क करें और वैकल्पिक लेन-देन विधि (जैसे UPI) का उपयोग करें।

बुजुर्गों और मजदूरों के लिए: जिनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं, उनके लिए आधार सेंटर पर उच्च गुणवत्ता वाले स्कैनर या आईरिस स्कैनर का उपयोग किया जा सकता है। UIDAI ने 2०25 में कुछ क्षेत्रों में मोबाइल वैन शुरू की हैं, जो घर-घर जाकर अपडेट करती हैं।

JeÜeg&Deue ID (VID): 16 अंकों की वर्चुअल ID का उपयोग करें, जो आपके आधार नंबर को छिपाकर प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। mAadhaar ऐप या UIDAI वेबसाइट पर "Virtual ID Generation" विकल्प से VID बनाएं।

UIDAI ने 2023 से फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, जो कुछ सेवाओं (जैसे AePS = आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, PDS) में उपलब्ध है। यह बुजुर्गों और खराब बांयोमेट्रिक्स वाले लोगों के लिए उपयोगी है।

1947 हेल्पलाइन पर संपर्क कर के अथवा आधार सेंटर पर जाकर समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है।

2025 के नियमों के अनुसार हर 10 साल में बांयोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक अपडेट करने होंगे, पुराने आधार अप्रभावी होंगे।

AePS (आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) से लेन-देन के दौरान दुकानदारों को आधार नंबर न दें; केवल 'कोड' या VID का उपयोग करें।

mAadhaar ऐप डाउनलोड करें और डिजिटल आधार कार्ड का उपयोग करें, जो कई जगह स्वीकार्य है।

ओर अंत में सो बात की एक बात, यदि डिजिटल, साइबर धोखाधड़ी से बचना है तो इस गोल्डन रूल का सदैव पालन करें:—अपना आधार नम्बर, मोबाइल फोन नंबर, बैंक खाता संख्या और कोई भी दस्तावेज जो आधार, मोबाइल फोन से जुड़ा हो उसका नंबर भूल कर भी किसी अपरिचित को नहीं दे। किसी अपरिचित, संदिग्ध लिंक्स को लाइक, शेयर, क्लिक कभी नहीं करो। शर्म की आवश्यकता नहीं, रसय की स्थिति में जानकार से या संबंधित दप्तर से संपर्क करें। जानकारी प्राप्त कर लें।

उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं इस प्रकार के अपराध न हों क्योंकि हर व्यक्ति के डेटा का इतना केंद्रीकरण हो गया है कि किसी दप्तर से किसी भी लेवल से किसी भी कर्मचारी, अधिकारी द्वारा थोड़ी सी गफलत का बेजा फायदा इस प्रकार के शांतिर अपराधिक मानसिकता के लोग अपराध करने से नहीं चुकेंगे ।

—महावीर सिंह, पूर्व आईएएस